

संज्ञा

राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद

उच्च शिक्षा विभाग

संख्या- राष्ट्रीयचिकित्सा/संख्या/2021/3537

दिनांक: 09/08/2021

संबंधित कार्य

राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सितंबर 2021-22 हेतु विभागीय चिकित्सा परिषदों को अनुमति प्रदान किए जाने के उपरोक्त अधिसूचना संख्या 3537/2021 के अन्तर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, उच्च शिक्षा विभाग में सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए सम्बद्धता विवरण पर विचार किया गया। वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न संस्थाओं के अनुमति में विभाग संस्था को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के अर्थ में परामर्श एवं उचित अधिसूचना संख्या 3537/2021 के अन्तर्गत सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है-

संस्था का नाम एवं पता : 1091-CHANDRA KAMAL PHARMACY
MAHAVIDYALAYA, BICHHWAN, TEHSIL-BHOGAON, MAINPURI-206267

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	संस्थाओं की संख्या/संख्या द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमति प्राप्त संख्या	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमति प्राप्त संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संस्थाएं हेतु हैं

- ✓ संस्था 1091-CHANDRA KAMAL PHARMACY द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा 1982 तथा राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद विनियमसंख्या 1992, संशोधित विनियमसंख्या-2018 तथा अन्य विनियम विधियों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए 30-150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए 30-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के लिए 30-22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक प्राथमिकता से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधिसूचित प्रावधानों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर बहस द्वारा निर्णय किये जाने वाले प्रावधानों का पालन करने, और सदस्यों

प्रमाणपत्र/समाप्त कार्यवाही की प्रतिलिपि

(सुनील कुमार शर्मा)

अतिरिक्त

सूचना- अतिरिक्त/अतिरिक्त संख्या/2021/3538-4800

दिनांक: 09/08/2021

प्रति,

प्रमाणपत्र/समाप्त कार्यवाही की प्रतिलिपि- CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDYALAYA, BICHHAWAN, TEHSIL - BHOGAON, MAINPUR-205287



(सुनील कुमार शर्मा)

अतिरिक्त

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
एलएन एमएस अखण्ड।**

संख्या - प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

मसुदा दिनांक: 15-8-2020

--कार्यालय द्वारा--

अधिकांश प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राथमिक कार्यालय और इन्डिया नई दिल्ली द्वारा शिक्षा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्राथमिक स्कूलों की सम्बद्धता की अनुसूची प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, एलएन एमएस अखण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिकांश प्राथमिक शिक्षा परिषद, एलएन एमएस की अधिकांश से परिषद कार्यालय से ईमेल द्वारा सूचना के माध्यम से शिक्षा वर्ष 2020-21 हेतु अधिकांश नई सम्बद्धता की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं की सम्बद्धता विभाग/कार्यालय/प्रदेश समता कृषि मंत्रालय अन्य यहाँ पर विवरण वाली सूची वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्देश किया गया।

इसके अलावा नई सम्बद्धता अधिनियम की धारा 3 में निर्धारित हुए प्राथमिक परीक्षण सम्बन्धित करने वाली सूची से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकाशन किया गया। सम्बद्धता अधिनियम द्वारा प्रदान विवरण-विवरण एवं निम्नलिखित किया गया -

निम्नी सूची में सम्बद्धता अधिनियम द्वारा प्राथमिक परीक्षण सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, एलएन एमएस से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु पीरिऑडिक द्वारा उन्हें सम्बद्ध अनुसूची प्रकाशित प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीरिऑडिक द्वारा प्रदान किये गये अनुसूची विवरण के अनुसार प्रत्येक नाम के अनुसार अधिकांश कार्यालय/प्रदेश समता के साथ वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने पर अधिनियम द्वारा विवरण-विवरण किया गया एवं प्राथमिक से पीरिऑडिक द्वारा प्रदान अनुसूची विवरण के अनुसार से वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विवरण किये जाने का निर्देश किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आगत सम्बद्धता अधिनियम की धारा 3 में किये गये अधिकांश निर्देश के अनुसार नई शिक्षा वर्ष के प्राथमिक शिक्षा परिषद, एल एन एमएस द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित सूची के अधिकांश परीक्षण एवं प्रदान अधिकांश समता हेतु सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	कार्यालय का नाम	पीरिऑडिक द्वारा वर्ष 2020-21 के अनुसूची प्रदान संख्या	पीरिऑडिक / परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 के अनुसूची प्रदान संख्या
1	एन एमएस प्राथमिक कार्यालय, एलएन एमएस, दिल्ली।	दिल्ली का प्राथमिक	00	00

सम्बद्धता हेतु सूची

- ✓ एन एमएस प्राथमिक कार्यालय/पीरिऑडिक द्वारा निर्धारित की गयी सूची का पूर्णतः पालन करेंगे।
- ✓ एन एमएस प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं एलएन एमएस प्राथमिक शिक्षा परिषद अधिकांश 1000, एलएन एमएस अधिकांश-2019 एवं एन एमएस अधिकांश निर्देश एवं अधिनियम के अनुसार प्रदान की गयी सूची निर्धारित अधिनियम द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार निर्देशित कार्यालयों हेतु एन एमएस/एलएन एमएस - अधिकांश से प्राथमिक प्राथमिक परीक्षण हेतु एन एमएस/एलएन एमएस - अधिकांश एवं एन एमएस प्राथमिक परीक्षण के अधिकांश हेतु एन एमएस/एलएन एमएस 10 अधिकांश सूची के अधिकांश प्रदान/प्रदान से प्रदान किया जाएगा। अधिकांश के अधिकांश एवं/प्राथमिक से एलएन एमएस से एलएन एमएस से प्रदान द्वारा निर्देश किये जाने वाले कार्यालय प्रदान करेंगे, एवं अनुसूची अधिकांश शिक्षा

(Handwritten signature)

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्रविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्रविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2023/7817

सम्बद्धता दिनांक: 30/08/2023

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयित और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरांत प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता इतिहास अन्य सही पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1091-CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इन्टीर पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों फर्नेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पाठ्यक्रमों (दो बर्षों कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गमित किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। सभी निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गमित विधिविधायी/अधिविधायी/शासनादेशों/निर्देशों एवं विनियम, प्रविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाये गये विनियम, विनियमों, अर्जियों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

16 संसद का १०-आई-सीटीईटी-सी-आई से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संघ में समस्त उपरोक्त संघ का लोग और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संघ स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया गया है तो उत्तर कदम के संघ में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संघ को करनी होगी।

- ✓ संघ की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व १०-आई-सीटीईटी-सी-आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के सुधार से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समय पर निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संघ की अपने वेबसाइट पर संघ की समस्त सूचनाएं जैसे संघ की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार्वजनिक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुन्य, छात्रवृत्ति सुन्य आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संघ को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के साथ नैतिग लेखों के समन्वय में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संघ यह सुनिश्चित हो ले कि संघ में प्राथमिक संघटित छात्रवृत्ति को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्गो, उपकरण इत्यादि का यदि संघ द्वारा किसी अन्य छात्रवृत्ति के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संघ उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संघ संघ की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही करेगी।
- ✓ संघ के औपचारिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संघ में भूमि, भवन, इलेक्ट्रिकल, उपकरण एवं अन्य सार्व-जनिक १०-आई-सीटीईटी-सी-आई-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संघ की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियन्त्रक अनुशासनिक कार्यवाही करेगी।


(एफएआरओ खान)

सचिव

सूचना- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8435

दिनांक- 30/08/2022

प्राथमिक

पुस्तकालय/निदेशक, CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAWDALAYA


(एफएआरओ खान)

सचिव